



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 25.03.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

दिनांक 31.10.2019 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम मिठनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 500 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 759/19 धारा 21 / 22 एनडीपीएस एक्ट बनाम शुभम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 25.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – 04, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 759/19 धारा 21 / 22 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त शुभम पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम मिठनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 6,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

शुभम पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम मिठनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 25.03.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 57/2025 धारा 351(2) / 352 / 69 बीएनएस व 66 सी आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.03.2025 को वादिया द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभिजीत पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने वादिया को बदनाम करने की नीयत से वादिया के फोटो उसके होने वाले पति के भाई के मोबाईल फोन पर भेज दिये तथा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 57/2025 धारा 351(2) / 352 बीएनएस व 66 आईटी एक्ट बनाम अभिजीत उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 69 बीएनएस की वृद्धि की गयी थी ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 25.03.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिजीत पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन भी बरामद किया गया है । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिजीत पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.निरीक्षक अपराध श्री उदयवीर सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 829 बादल सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 25.03.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 35/2025 धारा 103(1),109(1),115(2),309(6),352,351(3) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (पाठल) सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.03.2025 को वादी सोमप्रकाश सिंह पुत्र मल्लहू निवासी ग्राम खैरपुर उर्फ प्रतापपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 24.03.2025 को सांय करीब 07.00 बजे अभियुक्तगण 1.अतुल पुत्र राजेश 2.राजू 3.बिट्टू निवासीगण ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व एक व्यक्ति नाम व पता अज्ञात द्वारा रजत व शुभम पुत्रगण हरिराज के साथ जान से मारने की नियत से पाठल, पेंचकश व डंडे से मारपीट की गयी तथा बीच बचाव में आए वादी व वादी के भजीते राहुल पुत्र ओमप्रकाश से 25,000 /- रुपये छीनने का प्रयास किया गया तथा राजू ने जान से मारने की नियत से राहुल के सीने में पेंचकस से हमला कर दिया, जिससे राहुल की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा शुभम व रजत गंभीर रूप से घायल हो गये व शोर होने पर अभियुक्तगण गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 35/2025 धारा 103(1),109(1),115(2),309(6),352,351(3) बीएनएस बनाम बनाम अतुल आदि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 25.03.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त अतुल पुत्र राजेश निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पाठल सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अतुल पुत्र राजेश निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पाठल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री महेन्द सिंह नागर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 मुकेश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 356 प्रकाश वीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1960 शिव शंकर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 25.03.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0स0 26/2025 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 5(J)/6 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.03.2025 को वादिया ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र भारत सिंह 2.सौरभ पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासीगण ग्राम हरिनगर उर्फ मुबारकपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर वादिया की 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 26/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । दिनांक 21.03.2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 87, 65(1) बीएनएस व 5(J)/6 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 25.03.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र भारत निवासी ग्राम हरिनगर उर्फ मुबारकपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र भारत निवासी ग्राम हरिनगर उर्फ मुबारकपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1.उ0नि0 रजत चौधरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1533 मनीष राणा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1980 फैयाज थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 25.03.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 20/2025 धारा 69 बी०एन०एस० व धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधि० में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.02.2025 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ० आवास विकास कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया तथा अभियुक्त व अभियुक्त के परिजनों द्वारा वादिया से अत्यधिक दहेज की मांग की गयी तथा मांग पूरी न होने पर शादी न करने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 020/2025 धारा 69



बी०एन०एस० व धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधि० बनाम सचिन कुमार आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

आज दिनांक 25.03.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ० आवास विकास कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सचिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ० आवास विकास कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरी० धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. उ०नि० अनिल राणा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. का० 1148 रोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. का० 1864 कृष्ण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 25.03.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.03.2025 को वादी श्री जयप्रकाश पुत्र हरकेश निवासी बमनौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 24.03.2025 को अज्ञात चोर द्वारा कस्बा स्योहारा से वादी की मोटर साइकिल स्पेलण्डर नं० UP20BH9245 चोरी कर ली है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 106/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त आसिफ पुत्र अली हसन निवासी मौ० कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे लाया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 25.03.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त आसिफ पुत्र अलीहसन निवासी मौ० हता नई आबादी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की गई मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता –

आसिफ पुत्र अली हसन निवासी मौ० हता नई आबादी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोटर साइकिल स्पेलण्डर रंग काला नं० UP20BH9245

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० श्री हरिऔम चौहान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.उ०नि० श्री असकर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.हे०का० 360 बृजपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.हे०का० 689 पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर